राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद द्वारा पुस्तकों का प्रकाशन और बिक्री

1876. डा० रत्नाकर पाण्डेय : क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद द्वारा किन-किन पुस्तक भाषाओं के तहत अब तक कितनी पुस्तकें प्रकाशित की गई हैं ;

(ख) उनमें से पाठ्य पुस्तकों को छोड़कर कितनी पुस्तकों की 10 हजार से अधिक प्रतियां बिकी हैं ;

(ग) सर्वाधिक लोकप्रिय पुस्तकों के नाम क्या हैं और उनके लेखक कौन हैं ;

(घ) ऐसी किताबों की संख्या कितनी है जो उसके भंडार में पांच वर्षों से बिक्री के लिये पड़ी हैं ; और

(ङ) उनके निपटान के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं ?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में शिक्षा और संस्कृति विभागों में राज्यमंत्री (श्रीमती कृष्णा साही) : (क) राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद द्वारा 3,683 पुस्तकें और 175 पत्रिकाओं के अंक प्रकाशित किए गए हैं ।

(ख) कुछ नहीं ।

(ग) कुछ लोकप्रिय पुस्तकें निम्न-लिखित हैं :-

1. मुरियलवासी द्वारा लिखित भारत की पौराणिक कथाएं ।

2. विज्ञान तथा मानव--ए० के० जलाल-उ-द्दीन और उत्पल मलिक द्वारा युवा पाठकों के लिए एक संग्रह ।

3 नेहरू--श्री पी० एल० मल्होत्रा द्वारा युवा पाठकों के लिए एक संग्रह ।

4. मुलखराज आनन्द द्वारा लिखित महात्मा गांधी का ऐतिहासिक मुकदमा (ट्रायल) ।

(घ) 80 पुस्तकों की तियां पिछले पांच वर्षों से भंडार में पड़ी हैं ।

(ङ) सूचना तथा प्रसारण मंत्रालय का प्रकाशन प्रभाग राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद की पुस्तकों का राष्ट्रीय वितरक है । उनके दिल्ली, बम्बई, मद्रास, कलकत्ता, पटना, लखनऊ तथा हैदराबाद स्थित सात बिक्री केन्द्र हैं । राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद अपने प्रकाशनों को सीधे स्कूलों संस्थाओं और व्यक्तिगत ग्राहकों को भी बेचना है । इसने हाल ही में दिल्ली संघ शासित प्रदेश में अपनी पुस्तकों का वितरण करने के लिए 14 थोक बिक्री एजेन्टों की नियुक्ति की है ।

Selection grade for nurses t» the N.D.M.C. hospital

1877. DR. RATNAKAR PANDEY: WiU the Minister of HEALTH **AND** FAMILY WELFARE be pleased to state:

(a) whether it i_s a fact that *B' grade Nurses in the Hospitals and dispensaries run by New Delhi Municipal Committee represented to N.D.M.C. for conversion of posts on percentage basis into selection grade posts; and

(b) if so, what is the decision taken in this regard?

THE MINISTER OF STATE. IN THE MINISTRY OF HEALTH AND FAMILY WELFARE (KUMARI SAROJ KHAPARDE): (a) and (b) 'B' grade Nurses in N.D.M.C. are already allowed selection garde on percentage basis under the nird Pay Commission recommendations **w.e.f.** 18-2-1983. 'Infill